इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 516] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. २४५०४-वि.स.-विधान-२०११.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम ५९ के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-८) विधेयक, २०११ (क्रमांक ४३ सन् २०११) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४३ सन् २०११

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ८) विधेयक, २०११

३१ मार्च, २००२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की सिंचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-८) अधिनियम, २०११ है.

३१ मार्च, २००२ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. ६,२५,६०,५९४ का दिया जाना.

२. **मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियाँ, जिनका कुल योग छः करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार पाँच सौ चौरानवे रुपये होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २००२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी.**

विनियोग.

३. **इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, २००२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.**

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) आधिक्य		
			मतदत्त	भारित	योग
			(राशि रुपये में)	**(राशि रुपये में)**	(राशि रुपये में)
०६.	वित्त विभाग				
		पूंजीगत	०	**५,५६,०७,३०६**	५,५६,०७,३०६
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	०	**६३,७९,९५५**	६३,७९,९५५

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	**रुपये**	रुपये
२३.	जल संसाधन			
	पूंजी	०	**५,७३,३३३**	५,७३,३३३
	योग : राजस्व	०	**६३,७९,९५५**	**६३,७९,९५५**
	योग : पूंजी	०	**५,६१,८०,६३९**	५,६१,८०,६३९
	वृहद योग :	०	**६,२५,६०,५९४**	६,२५,६०,५९४

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, सन् २००२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदानों से अधिक हुये व्यय की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : २३ नवम्बर, २०११

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.